

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- राम बहादुर पुत्र उदयप्रताप जाति क्षत्रिय निवासी वार्ड नं0 1 देवनगर थाना
पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।

----- अपीलांत

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- संजय रामावत
चतुर्भुज शर्मा

अभिभाषक अपीलान्त
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16-1-2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.10.18 जिसके द्वारा अपीलान्त को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.5.14 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी राम बहादुर पुत्र उदयप्रताप जाति क्षत्रिय निवासी वार्ड नं0 1 देवनगर थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही हैं । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसके विरुद्ध कुल 13 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं, सभी प्रकरणों में बाद अनुसन्धान पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सभी 11 मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.5.14 को अपीलान्त के निमित्त अनुसूची प्रपत्र-1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 19.6.14 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 19.6.14 को अपीलान्त द्वारा जवाब इस्तगासा हेतु अवसर चाहा गया तथा 3 वर्ष से अधिक तक अवसर लिया जाकर दिनांक 24.10.18 को जवाब पेश किया गया । अपीलान्त द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 24.10.18 को ही निर्णय परित कर अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्त को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय हनुमानगढ़ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 24.10.18 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
5. अभिभाषक अपीलान्त का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना गंगानगर द्वारा 13 मुकदमे दर्ज करवाये गये थे, जिनमें से 11 प्रकरणों में अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है, जो गम्भीर प्रवृत्ति का मुकदमे नहीं है । अपीलार्थी के विरुद्ध परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को परिक्षित नहीं करवाया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर मौखिक या लिखित साक्ष्य नहीं आई, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्त से समाज, आम नागरिक में किसी प्रकार का भय, जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा हो । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपना परिवाद साबित करने में असफल रहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त अपीलार्थी निर्णय पारित कर 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित किया गया है । प्रार्थी अपीलान्त शान्तिप्रिय एवम् मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जिस पर अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारियां हैं । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलार्थी निर्णय आदेश दिनांक 24.10.18 निरस्त फरमाया जावे ।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्त के विरुद्ध कुल 13 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज हुए तथा 11 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा


 सहायक अधीनस्थ
 बीकानेर

“क” “ख” “ग” में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 14.5.14 के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण अपीलान्त का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अपीलान्त द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे । ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 28.5.14 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत 13 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 11 प्रकरणों में अपीलान्त को सजायाब किया गया है:-

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	286/7.10.11	13 RPGO	29.10.11	सजा
2	314/18.11.11	13 RPGO	22.11.13	सजा
3	349/3.12.11	13 RPGO	9.12.11	सजा
4	1/2.1.12	13 RPGO	11.1.12	सजा
5	62/4.3.12	13 RPGO	14.3.12	सजा
6	145/9.5.12	13 RPGO	19.5.12	सजा
7	276/27.9.12	13 RPGO	3.10.12	सजा
8	344/1.12.12	13 RPGO	11.12.12	सजा
9	27/22.1.14	13 RPGO	6.2.14	सजा
10	52/10.2.14	13 RPGO	25.2.14	सजा
11	114/21.3.14	13 RPGO	12.4.14	सजा

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-

9. क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।


ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में


 सहायक अभ्युक्त
 बीकानेर

आता है। अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए एवम् 11 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है। रपट रोजनामचा दिनांक 14.5.14 के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है, अपीलान्त सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है। गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं। गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है। अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है। अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त क विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं। अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ़ में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलार्थीन आदेश दि० 24.10.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।
12. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर